

As the polling in the State has been completed, all normal administrative work/development activities in the State may now be taken up except at places where re-polling, if any, is pending. Re-polling at only one polling station in Tonk Sawaimadhopur constituency is pending and that will be completed today.

391470  
3044

The ban on transfers will, however, continue.

**मुख्य सचिव**

राजस्थान

कार्यालय

जयपुर

389958/14/CS

28.04.2014

प्रधान सचिव

दिवांग

All Addl. Chief Secretaries

All Principal Secretaries to Government

All Secretaries to Government

*M. Mehrishi*  
(Rajiv Mehrishi)

28.4.2014

Chief Secretary

2-

28-4-14

RAKESH SRIVASTAVA  
Additional Chief Secretary

390097/14/CS  
28/4/14

JS, GAD

AS(5)

28/04/2014

TO-DAY  
28/04/14  
Yester  
29/04/14

राजस्थान सरकार  
सामान्य प्रशासन (गुप्त-5) विभाग

क्रमांक: प. 15(8)साप्र / 5 / 14

जयपुर, दिनांक: 30.04.2014

निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु मय प्रतिलिपि प्रेषित है:-

1. वरिष्ठ शासन उप सचिव साप्र (गुप्त-2,3)वि.
2. वरिष्ठ शासन उप मोटर गैराज / ना.उ.वि.
3. वरिष्ठ शासन उप सचिव मंत्रिमंडल सचिवालय
4. शासन उप सचिव, सम्पदा विभाग
5. शासन उप सचिव, साप्र (गुप्त-6)विभाग
6. डिप्टी चीफ ऑफ प्रोटोकॉल
7. वरिष्ठ लेखाधिकारी, साप्र (गुप्त-4)विभाग
8. साप्र (गुप्त-5)विभाग / साप्र (गुप्त-3)विभाग
9. समस्त प्रबन्धक, विश्राम भवन, राजस्थान / जोधपुर हाउस नई दिल्ली / राज. नई दिल्ली / राज.स्टेट गेस्ट हाउस, नई दिल्ली / राजस्थान भवन, वाशी, नवी मुंबई।
- 10.रक्षित पत्रावली

मुन्नालाल शर्मा  
(मुन्नालाल शर्मा) 30/4/14  
शासन सहायक सचिव

राजस्थान सरकार  
निर्वाचन विभाग

Letter  
E-mail

क्रमांक: एफ.3(1)(7)निर्वा/2014/6622

जयपुर, दिनांक: 28-4-14

३१५२५  
३०-४-१५

प्रेषक : मुख्य निर्वाचन अधिकारी  
राजस्थान, जयपुर।

- प्रेषिति 1. मुख्य सचिव  
राजस्थान सरकार,  
जयपुर।
2. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव,  
राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. समस्त प्रमुख/शासन सचिव,  
राजस्थान सरकार, जयपुर।
4. समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी  
(कलक्टर्स), राजस्थान।

विषय : लोकसभा आम चुनाव 2014 - आदर्श आचार संहिता के प्रतिबंधों में  
आंशिक शिथिलता बाबत।

प्रसंग भारत निर्वाचन आयोग का पत्रांक 437/RJ-HP/2014/NS-I  
दिनांक 26.04.2014

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत भारत निर्वाचन आयोग के संलग्न प्रासंगिक पत्र के द्वारा आदर्श आचार संहिता के प्रावधानों में आंशिक शिथिलता प्रदान की गई है। इसके अनुसार पुनर्मतदान वाले जिलों को छोड़कर राज्य के अन्य जिलों में सामान्य प्रशासनिक कार्य एवं विकास गतिविधियों की जा सकती हैं, किन्तु निर्वाचन प्रक्रिया समाप्ति तक निम्नानुसार प्रावधान लागू रहेंगे:-

1. निर्वाचन से जुड़े अधिकारियों के साथ मंत्रीगणों या दूसरे अन्य राजनैतिक व्यक्तियों द्वारा समीक्षात्मक बैठकें आयोजित नहीं की जा सकेंगी।
2. निर्वाचन से जुड़े अधिकारी/कर्मचारियों का रथानान्तरण/पदस्थान नहीं किया जा सकेगा।
3. राजकीय विशाम भवनों/गेस्ट हाउस में आयोग द्वारा नियुक्त पर्यवेक्षकों/निर्वाचित से जुड़े अधिकारियों को आवास उपलब्ध कराने में प्राथमिकता दी जायेगी।

कृपया उपरोक्तानुसार कार्यवाही करावें।

संलग्न: उपरोक्तानुसार

भवदीय,

२४५  
(अशोक जैन)

मुख्य निर्वाचन अधिकारी,  
राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक: एफ.3(1)(7)निर्वा/2014/

जयपुर, दिनांक:

प्रतिलिपि अतिरिक्त मुख्य सचिव, मंत्रीमंडल सचिवालय, राजस्थान सरकार, जयपुर को दी जाकर लेख है कि अपने स्तर से आयोग के उपरोक्त निर्देशों से समस्त माननीय मंत्रीगणों को अवगत करावें।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी  
राजस्थान, जयपुर।

3.11 PM

ECI Email

26.04.14



भारत निवाचन आयोग  
Election Commission of India

निर्वाचन सदन

NIRVACHAN SADAN

अशोक रोड, नई दिल्ली - 110 001

ASHOKA ROAD, NEW DELHI - 110 001

No.437/RJ-HP/2014-NS-I

Dated: 26<sup>th</sup> April, 2014

To

1. The Chief Secretary,  
Rajasthan, Jaipur.
2. The Chief Electoral Officer,  
Rajasthan, Jaipur.


**Subject:** General Election to Lok Sabha, 2014 – Partial relaxation of restriction on regular administrative work/development work of the State Government.

Sir,

I am directed to state that in the State of Rajasthan, where polling has been completed, the Commission has decided that all normal administrative work/development activities of the State of Rajasthan may now be taken up, except in such districts where re-poll, if any, is pending.

However, no officials connected with the conduct of elections can be transferred till the entire election process is completed and no review meetings can be held by the Ministers or any other political functionaries with the election related officials.

Yours faithfully,

  
(SHANGARA RAM)  
PRINCIPAL SECRETARY

---

Tel : 011-23717391, Fax : 011-23713412, Website : [www.eci.nic.in](http://www.eci.nic.in)

*Greater participation for a stronger democracy*